न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दूदू

बइजलास :– डॉ. अर्तिका शुक्ला (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 01/2023

रामजीलाल पुत्र श्री गोपीराम जाति जाट निवासी– दतुली तहसील फागी जिला दूदू प्रान्त राजस्थान

(प्रार्थी)

बनाम

1. अरविन्द कुमार शर्मा उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू राज.

2. हिमांशु पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति जैन निवासी रतन हाउस सी– 31 इन्द्रपुरी कॉलोनी टोंक रोड लाल कोठी जयपुर

3. निर्मला रावत पत्नी बच्चन सिंह रावत जाति राजपूत निवासी संतोषनगर गोपालपुरा बाईपास जयपुर जिला जयपुर।

4. श्याम सुन्दर शर्मा पुत्र श्री दुलीचंद शर्मा जाति ब्राहमण निवासी – कस्बा फागी तहसील फागी जिला दूदू राज.

5. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला दूदू राज.

(अप्रार्थीगण)

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उपखण्ड अधिकारी फागी में विचाराधीन प्रकरण संख्या 56/2023 व स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 55/2023 बउनवानी रामजीलाल बनाम हिमांशू वगैरह को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में अन्तरित करने बाबत।

उपस्थित :–

1. श्री हरीस साहू अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री ओमप्रकाश जैन अधिवक्ता अप्रार्थी 2 व 3

निर्णय **दिनांक :– 17.10.2023**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्राथी ने अप्राथीगण के विरूद्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी के न्यायालय में एक राजस्व वाद संख्या 56/2023 व स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 55/2023 बउनवानी रामजीलाल बनाम हिमांशु वगैरह पेश किया जो विचाराधीन है। पीठासीन अधीकारी इस प्रकरण को प्रार्थी के विरूद्व निर्णित करने पर आमादा है। अप्रार्थी संख्या 2 राजनेतिक रसूखात रखता है। जिसका इस्तेमाल कर पीठासीन अधीकारी से सांठ गांठ कर ऐन केन प्रकारेण प्रार्थी के विरूद्व निर्णय धारित करने पर आमादा है। पीठासीन अधीकारी प्रकरण में अत्यधिक रूचि लेकर स्थगन प्रार्थना पत्र को खारिज करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थी को उनसे निष्पक्ष न्याय की कतई उम्मीद नहीं होने से उनके समक्ष विचाराधीन प्रकरण को दूदू जिले से बाहर किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुंतकिल किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नही है। इसलिए मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर श्री अरविन्द कुमार शर्मा उपखण्ड अधिकारी फागी के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 56/2023 व स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 55/2023 बउनवानी रामजीलाल बनाम हिमांशू वगैरह को दूदू जिले से बाहर अन्य किसी सक्षम न्यायालय में स्थनान्तरित किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

न्यायालय जिला कलक्टर दूदू (राज.)

जिला कलक्टर

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 उपखण्ड अधिकारी फागी से विन्दूवार टिप्पणी तलब की गई।

अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की तरफ से श्री ओमप्रकाश जैन अधिवक्ता ने वकालतनामा एवं अप्रार्थी संख्या 2 की तरफ से जवाब प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर बताया कि मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में वर्णित विन्दू झूठे एवं गलत तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत किया है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 ने विन्दूवार टिप्पणी प्रेषित कर बताया कि मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य मनगढंत व झूठे एवं आधारहीन है। लेकिन प्रार्थी ने न्याय प्राप्त नही होने का तथ्य अंकित किया है। इसलिए यदि इस प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नही है।

अप्रार्थी संख्या 4 व 5 रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी होने के बाद भी उपस्थित नही होने पर इनके विरूद्व एकफरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र मुन्तकिल में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 उपखण्ड अधिकारी फागी से न्याय की उम्मीद नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 पीठासीन अधिकारी से सांठ गांठ कर रखी है। इसलिए प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रकरण अन्यत्र स्थानान्तरित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी 2 व 3 ने अपनी बहस में बताया कि मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य झूठे एवं आधारहीन है। प्रार्थी ने एकतरफा स्थगन प्राप्त कर अप्रार्थी 2 व 3 को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी ने विधिक रूप से कार्य किया है। मुन्तकिल प्रार्थना पत्र का पैरा न0 5 में वर्णित तथ्य बिल्कुल झूंठा अंकित किया है। अप्रार्थी संख्या 2 दिनांक 10.9.23 से पूर्व से ही जयपुर से बाहर गया हुआ था जो दिनांक 12.9.23 को वापस आया है। प्रार्थी ने एकतरफा स्थगन लेकर अप्रार्थी 2 को अपनी खातेदारी भूमि पर चारदिवारी निर्माण कार्य को रूकवा दिया है। प्रार्थी ने प्रकरण को

न्यायालय जिला कलक्टर दूदू (राज.)

जिला कलक्टर
दूदू (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

महज हैरान व परेशान करने की नियत से एवं प्रकरण को देरीना करने के उदेश्य से गलत तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थी संख्या 2 की किसी प्रकार से पीठासीन अधिकारी से कोई सांठ सांठ नही है। प्रार्थी ने प्रकरण को देरीना करने के इरादे से मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। इसलिए आधारहीन प्रार्थना पत्र को मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी 2023(1) पेज 479 से 481 पेश की गई।

हमने वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की बहस पर गौर पूर्वक मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी की आदेशिकाओ के अवलोकन से ऐसा कही नही प्रकट होता है की पीठासीन अधिकारी द्वारा न्यायिक प्रकिया से बाहर जाकर कोई कार्य किया गया हो केवल नजदीकी तारीख देना प्रकरण के अंन्तरण का आधार नही हो सकता, केवल आंशका के आधार पर पीठासन अधिकारी के आचरण पर किसी प्रकार की टिप्पणी नही की जा सकती है, पीठासन अधिकारी ने अप्रार्थीगण के पक्ष मे कोई अनुचित आदेश भी पारित नही किया है केवल आशंका के आधार किसी प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना व्यावहारिक प्रतीत नही होता है। प्रार्थी को जो आशांका है, उसका आधार रिकॉर्ड पर होना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण मे ऐसा कोई आधार नही है। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी 2 व 3 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होता है।

उक्त तथ्यो के विवचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुन्तकिल आधार हीन होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी फागी को प्रेषित की जावे। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 अर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर
दूदू(राज0)

Scanned with OKEN Scanner